email: cfbhagi-forest-uk@nic.in
फोन / फैक्स–0135–2431159,

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

पत्रांक – 501 /12-1(2) दिनांक, मुनिकीरेती 11 /09/ 2017।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरा नगर,
फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :– **जनपद टिहरी गढवाल में राज्य योजना के अन्तर्गत डडुआ से सिरोला होते हुये मयाली पाटाखाल मोटर मार्ग का पुल सहित निर्माण प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/21943/2016 हेतु 1.1375 हे0 वन भूमि का नैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा उनके पत्र संख्या–3217/FP/UK/ROAD/21943/2016 दिनांक 25–05–2017 से लगाई गयी आपत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित के कम में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है। जो आपको संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

क0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1.	डिजिटल मानचित्र में Starting Point and Ending Point अंकित किया जाये।	बिन्दु संख्या–01 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के मानचित्र में क0सं0 01 में परियोजना का आरम्भिक बिन्दु तथा क0सं0 25 में प्रस्तावित मार्ग का अन्तिम बिन्दु अंकित किया गया है। तथा भाग–01 के पैरा–C के कम संख्या (b) iv में अपलोड किया गया है।
2.	भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक 200 मीटर पर Latitude & Longitude अंकित किया जाये।	बिन्दु संख्या–02 के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार जियों रेफरेन्सड मैप तैयार करवाकर प्रत्येक 200 मी0 पर Latitude & Longitude अंकित करते हुये मैप भाग–01 के पैरा–C के क0सं0 (b) iv में अपलोड किया गया है।
3.	प्रपत्र–1 में दिनांक अंकित नही है।	बिन्दु संख्या–03 के कम में अवगत कराना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रपत्र–01 में यथास्थान दिनांक अंकित कर दिया गया है। तथा भाग–01 के एडिशनल कॉलम के क0सं0–10 के पृष्ठ संख्या–06 में अपलोड किया गया है।
4.	प्रपत्र–2 भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भरकर संलग्न करे एवं परियोजना का नाम व सभी बिन्दुओं की सूचना भरी जाय।	बिन्दु संख्या–04 के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रपत्र–02 अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा जारी वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव निर्माण मार्गदशिका 2014 से निर्धारित प्रपत्र के अनुसार ही तैयार कर संलग्न किया गया है। तथा सभी बिन्दुओं की सूचना यथास्थान भर दिया गया है। जिसकी प्रति भाग–02 के एडिशनल कॉलम के क0सं0 10 में अपलोड की गयी है।
5.	मानचित्र में इन्डेक्स की सूचना भरी जाय।	बिन्दु संख्या–05 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा जी0आई0एस0 द्वारा जारी जियों रेफरेन्सड में जिसमें इन्डेक्स भी अंकित है मानचित्र भाग–01 के पैरा–C के क0सं0 (b) iv में संलग्ल किया गया है।
6.	प्रस्तावित मार्ग का जियों रेफरेन्शड मैप संलग्न किया जाय।	बिन्दु संख्या–06 के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग का जियों रेफरेन्सड मैप भाग–1 के पैरा –C के क0सं0 (b) iv में अपलोड किया गया है।

	वन अधिकार अधिनियम 2006 हेतु जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र में तिथि का उल्लेख नही है।	बिन्दु संख्या–07 के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 हेतु जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र में तिथि का यथास्थान उल्लेख कर पुनः भाग–01 के पैरा K के क0सं0 (i) a में अपलोड कर दिया गया है।
8.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र भारत सरकार के निर्देशानुसार जियों रेफरेन्सड मैप सहित Shp. में DSS से मिलान कर संलग्न किया जाय।	बिन्दु संख्या–08 के अनुपालन में अवगत कराना है कि जियों रेफरेन्सड मैप का DSS से मिलान नोडल कार्यालय स्तर से किया जावेगा।
9.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रमुख वन संरक्षक द्वारा निर्धारित दर के अनुसार बनाकर संलग्न करें।	बिन्दु संख्या–09 के कम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–596/3–5–2 दिनांक 19–08–2015 से निर्धारित वसूली वर्ष 2017–18 की दर से तैयार कर भाग–02 के एडिशनल कॉलम के कम संख्या–11 में अपलोड किया गया है।
10.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा पुनः एन0पी0बी0 का आंक्कलित कर संलग्न किया जाय।	बिन्दु संख्या–10 के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग माणिकनाथ राजि के लक्ष्मोली कक्ष संख्या–1ब के अन्तर्गत पडता है जिसके सम्पूर्ण कक्ष का औसत घनत्व कर्यायोजना के अनुसार 0.3 से 0.4 के मध्य है। जिस कम में संशोधित एन0पी0वी0 आंकलित कर पुनः संलग्न किया जा रहा है। संशोधित एन0पी0वी0 भाग–2 के एडिशनल कॉलम के कम संख्या–01 में अपलोड की जा रही है। पूर्व में प्रभावित हो रहे वृक्षों की संख्या को आधार मानकर एन0पी0वी0 का ऑक्कलन किया गया था।

भवदीय

(सुशांत पटनायक)
वन संरक्षक

संख्याः– 401 / दिनांकित।

प्रतिलिपि :– प्रभागीय वनाधिकारी,नरेन्द्रनगर वन प्रभाग,मुनिकीरेती को उनके पत्र सं0–524/12–1(2) दिनांक–05.09.2017 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुशांत पटनायक)
वन संरक्षक

O/C